राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : एफ 2(3)लागत / 403 दिनांक : 8/11/11

परिपत्र

मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में समय–समय पर दुकानों / आवासों / भूखण्डों का नीलामी द्वारा विक्रय किया जाता है। कई प्रकरणों में आवंटी द्वारा मांग पत्र की वांछित राशि नियम तिथि 30 दिवस की अवधि में जमा नहीं करवाई जाती है। मण्डल द्वारा प्रसारित कर्यालय आदेश क्रमांक 180 दिनांक 14.08.2007 की बिन्दु संख्या 10 के अनुसार 30 दिवस की अवधि से अधिक किन्तु 1 वर्ष से अनाधिक के लिये अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल की सक्षम स्वीकृति के पश्चात् राशि जमा करवाई जा सकती है। परन्तु कतिपय प्रकरणों में बिना सक्षम स्वीकृति के निर्धारित अवधि के पश्चात् मांग राशि जमा की जा रही है, जो कि आदेशों के विपरीत है।

समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जा सकता है कि भविष्य में ऐसे समस्त प्रकरणों में आवेदक द्वारा आवेदन करने पर पत्रावली वित्तीय सलाहकार के माध्यम से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रेषित की जावे। सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर ही सम्बन्धित कार्यालयों में आवेदकों की राशि जमा करे तथा नियमानुसार नीलामित सम्पति का भौतिक कब्जा दें। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त / मुख्य अभियन्ता–I/ II, रा.आ.मं., जयपुर।
2. सचिव / वित्तीय सलाहकार / अति.मुख्य अभियंता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, जयपुर।
3. निदेशक विधि / मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा.आ.मं., जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, राज.आ.मं. वृत्त ....
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राज.आ.मं., प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम्, जयपुर।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड.............राज.आ.मं., ...
7. लेखाधिकारी / सहा. लेखाधिकारी, वसूली, राज.आ.मं. वृत्त ....
8. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

D:\I.M. Danodiya Sir\pOffice Order.rtf